श्रम विभाग में यूनियन रजिस्ट्रेशन का काला कारोबार

फ़रीदाबाद (म.मो.) हरियाणा हिन्द मज़दूर सभा (एच एम एस) के महामन्त्री सुरेन्द्र लाल ने दिनांक 17.12.13 को एक पत्र लिख कर राज्य के मुख्यमंत्री, श्रम मन्त्री, श्रम सचिव तथा श्रमायुक्त को श्रमिक यूनियन रजिस्ट्रेशन में होने वाले काले-कारोबार के बारे में सूचित कर उचित कार्यवाही की मांग की है।

विदित है कि श्रम कानूनों के अनुसार किसी भी उद्योग में कार्यरत कोई भी सात मज़दूर यूनियन के वांच्छित दस्तावेज राज्य के श्रम विभाग में जमा कराकर रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं। इसके लिए आवेदन श्रम निरीक्षक के यहां किया जाता है। आवश्यक जांच-पड़ताल के उपरान्त आवेदन को चंडीगढ स्थित श्रमायुक्त कार्यालय में भेजा जाता है। वहां संयुक्त श्रमायुक्त स्तर का एक अधिकारी आवेदन तथा उसके साथ लगे दस्तावेज़ों की जांच-पड़ताल के उपरान्त रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी करता है। आजकल यह कारोबार अनुपम मलिक नामक एक अधिकारी के हाथों में है। उसने धंधे को लूट का हथियार बना रखा है।

अव्वल तो मज़दूरों का आवेदन स्थानीय निरीक्षक के स्तर पर ही कुचल दिया जाता है। आमतौर पर आवेदन प्राप्त होते ही निरीक्षक सम्बन्धित कम्पनी के मालिकान की सेवा में हाजिर होकर उन 7 श्रमिकों के नाम उन्हें बता देता है जिन्होंने आवेदन किया होता है। सूचना मिलते ही मालिकान उन मज़दूरों के विरुद्ध तरह-तरह से प्रताड़ना कार्यवाही करते हैं कि आवेदन वहीं ठप्प होकर रह जाता है। इन कार्यवाहियों में नौकरी से निकाल देना अथवा कहीं दूर-दराज तबादला कर देना प्रमुख है।

यदि मज़दूर स्थानीय निरीक्षक से किसी तरह पार पा गये तो शुरू होता है चंडीगढ में बैठे अनुपम मलिक का खेल। एच एम एस के महासचिव द्वारा लिखे गये उक्त पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि तमाम दस्तावेज पूरे होने तथा सारी बाधायें पार कर लिये जाने के बावजूद भी अनुपम मलिक बिना मोटी रकम लिये किसी का भी रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जारी नहीं करते। मोटी रकम ऐंठने के लिए यह जरूरी है कि रजिस्ट्रेशन में अनावश्यक विलम्ब किया जाय। इसी विलम्ब तथा तरह-तरह की आपत्तियों से दुखी करके ही पैसा निकाला जाता है।

एच एम एस महासचिव ने पत्र में सूचित किया है कि मानेसर व गुड़गांव स्थित डिगानिया मेडिकल डिवाइसेस, हरसोरिया हैल्थ केयर, वेस्टर तथा बावल स्थित भिन्डा फुरकावा नामक कम्पनी के मज़दूरों द्वारा किये गये आवेदनों में भारी घोटाला किया गया है। डिगानिया व हरसोरिया कम्पनियों में तो पहले एक भी यूनियन रजिस्टर नहीं की, लेकिन जब करनी ही पड़ गयी तो दो-दो रजिस्टर कर दीं ताकि मज़दूर आपस में सिर फुटव्वल करते रहें।

इसके अलावा यह भी किसी से छिपा नहीं है कि यह अधिकारी कम्पनी मालिकान से तो यूनियन रजिस्ट्रेशन न करने के तथा मज़दूर नेताओं से रजिस्ट्रेशन करने के एवज में पैसा लेता है। कई मामले तो ऐसे भी सुनने में आये हैं कि पहले तो मालिकान से पैसे ले लिये और कुछ माह बाद मालिकान को अपनी कोई मजबूरी बता कर यूनियन रजिस्ट्रेशन कर मज़दूरों से पैसे वसूले। ऐसी स्थिति में वह मालिकान को एक नया हल सुझाता है कि वे अपने कुछ चमचों से भी रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करवा दें, जिसे वह तुरन्त रजिस्टर करके असली यूनियन के मुकाबले में खड़ी करवा कर औद्योगिक माहौल को खराब कर ले।

पैसे का यह लेन-देन कोई सैंकड़ों-हज़ारों में नहीं बल्कि लाखों में होता है, खासकर गुड़गांव स्थित कम्पनियों से। ऐसा भी नहीं है कि इस खेल में अकेला अनुपम मलिक ही दोषी है; कुछ मज़दूर नेता भी समान रूप से शामिल हैं। इन मज़दूर नेताओं ने तो इसे बाकायदा धंधा ही बना लिया है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर मज़दूरों से अच्छा-खासा चंदा एकत्र करके आधा खुद खाते हैं और आधा ऊपर तक पहुंचाते हैं। रही बात मुख्यमंत्री तथा श्रममंत्री को पत्र लिखने की तो यह पूर्णतया निरर्थक है। यह जो कुछ भी हो रहा है सब उनके आशीर्वाद, संरक्षण तथा हिस्सेदारी में ही हो रहा है। इसलिये उनसे किसी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। दरअसल इस सारे खेल के पीछे मज़दूर नेताओं द्वारा बनाई गयी मज़दूरों की वह सोच है जिसमें यूनियन के रजिस्ट्रेशन को उनका सबसे बड़ा हथियार बताया जाता है। मज़दूरों को यह समझ लेना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट के रूप में मिलने वाला काग़ज का वह टुकड़ा उनके किसी भी संघर्ष में कभी भी किसी प्रकार से कोई भी काम नहीं आ सकता। काग़ज का यह टुकड़ा शासक वर्गों तथा उनके पैरोकार श्रमिक नेताओं द्वारा बुने गये उस मकड़जाल का एक तार मात्र है, जिसमें उलझा कर मज़दूरों का खून चूसा जा सकता है। उनकी असल ताकत केवल उनके संगठन तथा क्रान्तिकारी विचारधारा में ही है।

कमिश्नर साहब, ये कैसी सुरक्षा है?

हां एक तरफ़ पुलिस कमिश्नर ज़िले में महिलाओं की सुरक्षा हेतु नित-नई योजनाएं बनाने में जुटे हुए हैं। वहीं उनके ही पुलिस कर्मचारी उनके इस अभियान को पलीता लगाने में लगे हुए हैं।

ट्रैफ़िक पुलिस के एक कर्मचारी ने सरेआम सूरज नामक एक आटो चालक व उसकी पत्नी को बीच सड़क पर उस समय पीटना शुरू कर दिया, जब वह आटो चालक अपनी पत्नी व बच्चों के साथ डाक्टर से दवा लेकर लौट रहा था। गुरुवार सुबह वह अपने दो बच्चों व पत्नी के साथ दवा लेने के लिये आटो से डॉक्टर के पास गया था। वापस लौटते वक्त टाऊन नं.1-2 चौक पर उसके आगे एक और आटो होने पर उसने ब्रेक लगा दिए। आरोप है कि इस दौरान वहां खड़े एक ट्रैफ़िक पुलिसकर्मी ने आटो पर डंडा मार दिया। सूरज ने जब डंडा मारने का कारण पूछा तो पुलिसकर्मी ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। सूरज की पत्नी ने जब पुलिसकर्मी का विरोध किया तो पुलिसकर्मी ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। इस बीच वहां भीड़ इकठ्ठा हो गई। इसके बाद गुस्साए लोग़ों ने हार्डवेयर रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान मौके पर ए.सी.पी. मुजेसर दलवीर सिंह पहुंचे और लोग़ों को समझाबुझा कर मामला शांत किया।

उधर थाना एन आई टी प्रभारी अनिल कुमार भी कमिश्नर के दावों की पोल खोलते नज़र आ रहे हैं। एन.एच.पांच जे/के ब्लाक आर डब्लू ए की प्रधान आशा कथूरिया ने एक लिखित शिकायत दिनांक 31-12-2013 को एस.एच.ओ. अनिल को दी थी, जिसमें वार्ड नं. 14 की पार्षद चारू गोसांई के पति नरेश गोसांई पर आरोप लगाया है कि पार्षद पति ने उनके 5-के ब्लाक पार्क का निर्माण कार्य रुकवाकर गुण्डागर्दी करते हुए पार्क की दीवार को तुड़वा दिया व जब इस बात का विरोध आशा कथूरिया ने किया तो उन्हें ब्लाक वासियों के सामने गंदी-गंदी गालियां व उन्हें मारने की भी धमकी दी जिसको लेकर एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी ने नरेश गोसांई पर कोई कार्यवाही नहीं की।

एक अन्य मामले में थाना प्रभारी को 60 वर्षीय विमलारानी ने एक लिखित शिकायत दिनांक 14-9-2013 की दी हुई है, जिसमें कहा गया है कि उनका बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया एन आई टी ब्रांच में है। दिनांक 23-8-2013 को वह बैंक एटीएम

मशीन से निकाल रही थी तो एक अंजान व्यक्ति ने उनका एटीएम कार्ड धोखे से बदल दिया तथा उन्हें कोई फ़र्जी नाम का एटीएम कार्ड थमा दिया। जब वह दोबारा दिनांक 14-9-2013 को बैंक में रुपया लेने गईं तो उन्हें मालूम हुआ कि उनके एकाऊंट से करीब एक लाख चालीस हज़ार रुपये की रकम निकाल ली गई है। जिसकी जानकारी उन्होंने तुरंत एन आई टी एस एच ओ अनिल को दी और साथ ही वह एटीएम कार्ड भी दिया जो इन्हें उस अंजान व्यक्ति ने बदल कर दिया था। लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी थाना प्रभारी 60 वर्षीय विमला रानी व उनके रिश्तेदारों को थाने की परिक्रमा करवा रहे हैं।

इसके साथ ही शहर में हर दूसरे दिन महिलाएं अपराधियों का शिकार बन रही है। और दूसरी तरफ़ कमिश्नर महिला सुरक्षा-सम्मान का ढोल बजा रहे हैं। परन्तु इन सभी घटनाओं ने कमिश्नर के अभियान पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। शहर की आम जनता जानना चाहती है कि कमिश्नर महोदय सुरक्षा-सम्मान का खाली ढोल कब तक पीटते रहेंगे?

जानलेवा होते मोबाइल टावर

करनाल।(जे के पी के) करनाल नगर निगम अधिकारी मोबाईल फोन कम्पनियों से मिल कर सघन आबादी क्षेत्रों वाले में मोबाइल टावर लगा रहे हैं जिससे जन स्वास्थ्य के साथ-साथ पशु पक्षियों का भी नुकसान हो रहा है। इसके खिलाफ़ सूचना अधिकार के एक कार्यकर्ता ने पब्लिक यूटीलिटी कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन कोर्ट के द्वारा नोटिस का संज्ञान न तो मोबाईल कम्पनी ले रही है और न ही नगर निगम। इसके लिये आखरी मौका कहते हुये कम्पनी को कोर्ट ने तलब किया है।

सर्वविदित है कि मोबाईल टावर से निकलने वाली रेडिएशन किरणों का मनुष्य व पशु पक्षियों पर घातक असर होता है इसलिये प्रशासन द्वारा इन टावरों को लगाने की जगह निश्चित की जाती है ताकि रेडियेशन किरणों का कम से कम असर मनुष्य व जीव जन्तुओं पर पड़े लेकिन अधिकारियों के लालच के चलते कुछ पैसे ले दे कर मोबाईल कम्पनियां अपनी सुविधा अनुसार जगह का चयन करती हैं तथा शहर के बीचों बीच खड़े इन टावरों से कई बार जन हानि व जायदाद का नुकसान हो चुका है।

उल्लेखनीय है कि गत वर्ष अर्बन एस्टेट सै. 13 करनाल के रिहायशी क्षेत्र में एक मोबआईल टावर आंधी आने से गिर गया था। इत्फाक से कोई हादसा नहीं हुआ पर पड़ौसी की बिल्डिंग को नुकसान हुआ। परन्तु नगर निगम के अधिकारियों ने उससे भी अभी तक कोई सबक नहीं सीखा।

सदर बाज़ार क्षेत्र के लोग़ों ने अलग-अलग जगह पर शिकायत पत्र भेज कर प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है कि शहर में जितने मोबाईल टावर गलत तरीके से व गलत जगह खड़े किये गये हैं उनकी पूर्ण रूप से जांच कर कार्रवाई की जाये कि इनके लगाने में किन-किन अधिकारियों का हाथ रहा तथा पिछले हादसों को देखते हुये जन सुरक्षा के क्या कदम उठाये गये हैं? उन्होंने चेतावनी देते हुये कहा है कि अगर भविष्य में किसी जन का नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेवार मोबाइर्ल कम्पनियों के साथ-साथ नगर निगम के अधिकारी भी होंगे।

केन्द्र सरकार की इंटर मिनीस्ट्रियल की रिपोर्ट में भी यह माना गया है कि टावर से ब्रेन टयूमर, कैंसर, दिल से संबंधित बीमारी, बॉडी, सिरदर्द आदि फैल रही है, जिससे लोग़ों में दहशत फैलती है और जान-माल का नुकसान हो रहा है। एन डी आर आई के वैज्ञानिको का कहना है कि मोबाईल टावरों का इतना असर है कि इसके आस-पास के पशु गाय भैस भी दूध कम देने लगे हैं। मोबाईल टावर से न केवल मोहल्ले में बीमारी फैल रही हैबल्कि कुछ ही मीटर दूरी पर स्कूल के अध्यापक और बच्चे भी इससे परेशान हैं।

करनाल के ही कर्ण विहार में तो आसमानी बिजली गिरने से दर्जनभर मकानों में दरार आ चुकी है, जबकि लाखों रुपए के उपकरण जलकर खाक हो गए थे। हादसे के बाद प्रशासन की आंखे खुली थी तो टावर को अवैध करार देते हुए कार्रवाई का राग अलाप गया। हादसे को करीब साल भर हो गया है, पर आजतक स्थानीय निवासी कार्रवाई की आस लगाए बैठे हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने भी दो महीने के भीतर स्कूलों, अस्पतालों, खेल के मैदानों, यहां तक कि जेलों से भी मोबाइल टावरों की 500 मीटर की दूरी का आदेश पारित किया है। दो माह के अन्दर मोबाईल टावर शिफ्ट करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के आदेश को सही माना हैं।

नगर निगम के अधिकारी नियमों को ताक पर रखकर टावर लगाने की अनुमति प्रदान कर देते हैं कई मोहल्लों में भी टावर लगा दिये जबकि नियमानुसार पड़ौसी से नो ऑब्जेक्शन लेना अनिवार्य है परन्तु नगर निगम ने इसकी परवाह किये बगैर टावर लगाने की अनुमति दे दी। कई लोग़ों ने नगर निगम को शिकायत भी दर्ज करवाई है परन्तु वही ढाक के तीन पात। चांदी के जूते के आगे सुनवाई नहीं होती।

गतांक की चीर-फ़ाड़

मज़दूर मोर्चा का 1-15 जनवरी 2014 को अंक पढने को मिला जिसमें स्थानीय, क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर के राजनैतिक, सामाजिक, एतिहासिक व साहित्यिक मुद्दों पर लेख पढने को मिले। सभी लेख उच्च स्तरीय हैं। 'हत्यारे आज़ाद, निर्दोष जेल में बंद और बर्बाद,' 'चोर पुलिस मौसेरे भाई,' 'लचर ट्रफ़िक व्यवस्था कैसे सुधरेगी जब नियत खराब हो' तथा 'देश में हर साल 18 लाख लोग होते हैं पुलिस अत्याचार का शिकार' लेखों द्वारा देश में विद्यमान पुलिस व्यवस्था की पोल खोली गई है। यह पुलिस आज भी वही काम कर रही है जिसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना शासक, दबंग व उच्च वर्ग के हितों की रक्षा के लिए गठित की गई थी। शुरू से यह कमज़ोर व निर्दोष लोगों को कुचलती रही है। अन्य लेख, 'लोकपाल: जोकपाल नहीं जोंकपाल,' राजा की मुंछ बनेगी लोकपाल की पूंछ,' 'आपका आग़ाज अच्छा हो गया, अंजाम खुदा जाने?' तथा कविता 'कद बिकैगा अन्ना तेरा लोकपाल' द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त करने के प्रयासों की सार्थकता का सटीक वर्णन किया गया है।

भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीतिक दल अपनी-अपनी रोटियां सेक रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि भ्रष्टाचार पूंजीवादी व्यवस्था का अभिन्न अंग है क्योंकि पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य है मुनाफ़ा कमाना और मुनाफ़े कमाने के लिए हर हथकंडे अपनाए जाते हैं। वास्तव में भ्रष्टाचार एक व्यवस्था है। व्यवस्था परिवर्तन के बिना भ्रष्टाचार समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त 'आप' की ओर से अन्य राजनीतिक दलों के तथाकथित ईमानदार लोगों को खुला निमंत्रण देना कि वे 'आप' में शामिल हो जाएं भी हैरान करने वाला बयान है। क्या ये लोग 'आप' में शामिल हो गए इसलिए ईमानदार हो जाएंगे, चाहे उन्होंने अपने कार्यकाल में कितने ही घोटाले किए हों अथवा वे उनमें संलिप्त रहे हों। आई पी एस रणबीर शर्मा जैसे लोग यदि 'आप' में शामिल कर लिए गए तो 'आप' व अन्य राजनीतिक दलों में कोई अंतर नहीं रह जायेगा। एक अन्य लेख 'हम ना मुसलमान हैं, ना हिंदू, हम तो गरीब हैं' व 'केन्द्र और राज्य की नौटंकी' द्वारा स्पष्ट रूप से उज़ागर किया गया है कि कुछ राजनैतिक दलों द्वारा अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धर्म को हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस अंक में 'गदर आंदोलन के बहादुर लड़ाके' के ज़रिए प्रमुख बहादुर गदरी नेता-लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, बलवंत सिंह, भाई भाग सिंह व अन्य गदरी लड़ाकों की गदर आंदोलन में भूमिका को पाठकों के सामने रखकर उनकी कुर्बानियों की याद ताजा कर दी है। आशा है भविष्य में भी ऐसे ही लेख प्रकाशित किए जाएंगे।

-डॉ. जुगल किशोर गुप्ता